

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट-1/10
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

जयपुर, दिनांक :

2 DEC 2011

विषय:-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.3.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा योजनान्तर्गत सड़क निर्माण के संबन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे, जिसके बिन्दु संख्या 1 के अन्तर्गत गांवों की आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य प्री कास्ट इन्टरलॉकिंग टाइल्स/ब्लाक्स, पत्थर/ईट के खरन्जे से भी कराये जाने के निर्देश जारी किये गये।

भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा दिशा निर्देश (Operational Guidelines) के पैरा 6.1.1 (viii) में परिपत्र क्रमांक No.J-11060/12011-MGNREGA-1 dated 18-10-2011 द्वारा संशोधन जारी किया गया है, जिसमें आंतरिक सड़कों के निर्माण के संबंध में बिन्दु संख्या 'a' एवं 'b' पर निम्नानुसार वर्णित किया गया है—

- (a) Stone Kharanja or Brick Kharanja should be provided.
- (b) IF Stone or bricks are not available locally, then subject to non availability certificate by the DPC, cement concrete roads may be taken up, However, no cement concrete interlocking tiled roads should be taken up under Mahatma Gandhi NREGA.

केन्द्र सरकार द्वारा जारी उक्त परिपत्र से यह स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत सीमेन्ट कंक्रीट इन्टरलॉकिंग टाइल्स से सड़क निर्माण किया जाना प्रतिबंधित है। उक्त निर्देश की प्रति केन्द्र सरकार की वेबसाइट www.nrega.nic.in पर Circulars में **Amendment/Act & Advisory** पर उपलब्ध है। जारी निर्देशों की प्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबन्ध में केन्द्र सरकार से पत्राचार किया जा रहा है, जब तक केन्द्र सरकार से अन्य निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे:—


1. विभागीय निर्देश दिनांक 28.03.2011 की अनुपालना में इन्टरलॉकिंग टाइल्स के जो कार्य योजनान्तर्गत प्रारम्भ किये जा चुके हैं, उन्हें पूर्ण किया जावे परन्तु ऐसे कार्य जो स्वीकृत हो चुके हैं परन्तु प्रारम्भ नहीं हुए हैं, को प्रारम्भ नहीं किये जावे।

2. भविष्य में उक्त प्रकार के कार्य स्वीकृत नहीं किये जावे।
3. वार्षिक कार्य योजना 2011-12 में सम्मिलित इन्टरलॉकिंग टाईल्स से सड़क निर्माण के कार्य ईट/पत्थर खरंजा से कराये जा सकेंगे एवं इसके लिए पृथक से कार्यवाही करने/वार्षिक कार्य योजना को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है।
4. जिले में ईट/पत्थर की अनुपलब्धता के क्षेत्रों को जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अधिसूचित किया जाकर यह प्रमाणित किया जायेगा कि इस क्षेत्र में ईट/पत्थर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार जारी अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र अधिसूचित सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये लागू होगा तथा इस क्षेत्र में प्रत्येक कार्य के लिये जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर।
5. कार्यक्रम अधिकारी कम विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत समस्त राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

No.J-11060/1/2011-MGNREGA-I
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(MGNREGA Division)

Krishi Bhawan, New Delhi.

Dated 18th Oct, 2011

Circular

Subject: Amendment in para 6.1.1 (viii) of MGNREGA Operational Guidelines related to rural connectivity.

Rural connectivity to provide all-weather access is one of the permissible works under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA) (sub para viii of Para 1 of Schedule I). Requests have been received from State Governments for modifying the relevant provisions of Operational Guidelines to allow Cement Concrete Roads (CC Roads) and also for use of cement concrete interlocking boxes/tiles for internal roads.

The matter has been examined in consultation with various stake holders and it has now been decided by the competent authority to amend para 6.1.1 (viii) of MGNREGA Operational Guidelines related to rural connectivity. The revised para 6.1.1 (viii) of MGNREGA Operational Guidelines will read as follows:

- (viii) Rural connectivity to provide all-weather access comprises of two categories of roads (1) Roads that connect a village to another village or to a main road and (2) Roads that are internal (within the residential areas of villages).

As regards category (1) above, care should be taken not to take up roads included in the PMGSY network under Mahatma Gandhi NREGA and construction of such roads should include culverts/ Cross drainage where necessary,


As regards internal roads, the following is to be observed:

- (a) ~~Stone~~ ~~khara~~ ~~nja~~ or ~~brick~~ ~~khara~~ ~~nja~~ should be provided
(b) If Stone or bricks are not available locally, then subject to non-availability certificate by the DPC, cement concrete roads may be taken up. However, no cement concrete interlocking tiled roads should be taken up under Mahatma Gandhi NREGA.
(c) The width of such internal roads taken up under this provision should not be more than 2.5 meter .
(d) Internal Roads within the village area should be taken up alongwith proper drainage arrangement.
(e) Priority should be given to roads that give access to SC/ST habitations.

[Handwritten signature]

(f) The aggregate labour material ratio should not be more than 60:40 at the district level

All the State Rural Department Departments are advised to bring the above amendments to the notice of all the implementing agencies.


(P.N. Shukla)

Under Secretary to the Government of India

To

1. Principal Secretary/ Secretary of all State Rural Development Departments